विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 349

दुर्ग, दिनांक 28/07/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 109
दिनांक: 28/07/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक : 1000523314

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, कोहका जोन।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 28 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1000523314, स्वीकृत भार 7.5 किलोवाट, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.5 किलोवाट है।
3. अगस्त 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि जनवरी 2025 से जून 2025 तक की अवधि में 5,168 यूनिट एवं 646 यूनिट के आधार पर विद्युत देयक जारी किए गए, जबकि उक्त बिलिंग उचित मीटर रीडिंग एवं स्थल सत्यापन पर आधारित नहीं थी। आवेदक के अनुसार, संबंधित अवधि की बिलिंग का उचित आधार उपलब्ध नहीं है, अतः विद्युत देयकों की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन का दिसंबर 2020 से जून 2026 तक का बिलिंग विवरण एवं गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक बंद/खराब रहा तथा अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :–

क्या आवेदक के विद्युत कनेक्शन का मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग उचित था तथा क्या संबंधित विद्युत देयकों में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत मीटर डायरी, बिलिंग विवरण एवं गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

6.1. मीटर खराब रहने की अवधि की बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक बंद/खराब रहा। उक्त अवधि में विभिन्न महीनों में 646 यूनिट, 5,168 यूनिट एवं 1,292 यूनिट के आधार पर बिलिंग की गई।

आवेदक के परिसर में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग विवरण के अनुसार औसत खपत लगभग 597 यूनिट प्रतिमाह दर्ज की गई।

उक्त अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग में पर्याप्त अंतर रहा है। अतः संबंधित अवधि की बिलिंग की पुनर्गणना 597 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत को संशोधित बिलिंग का आधार बनाया जाए।

6.2. कैपेसिटर सरचार्ज

अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि मीटर खराब रहने की अवधि के दौरान आवेदक के विद्युत कनेक्शन पर कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया था।

मीटर खराब रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की लागू नियमों के अनुसार प्रमाणित नहीं होने के कारण उक्त वाली राशि को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित किया जाना उचित है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक मीटर बंद/खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनर्गणना 597 यूनिट प्रतिमाह की औसत खपत आधार` पर किया जाये तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाएं।

2. अनावेदकगण मीटर खराब रहने की संबंधित अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित करें।

3. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

4. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

5. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

6. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7. आदेश पारित।

8. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग